न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

पीठासीन अधिकारीः सृष्टि जैन (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांकः 18.12.2024
वाद संख्याः 09/2023

अंगद सैनी पुत्र नन्नूराम, जाति माली, निवासी ग्राम इमलारी तहसील सीकरी हाल निवासी अलवर जिला अलवर प्रांत राज0। ---प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब सीकरी, तहसील सीकरी (डीग)। ---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री रामनरेश यादव अधिवक्ता प्रार्थी।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 23/0.30, 24/0.34, 5/0.77, 322/0.32, 326/0.17, 327/0.16 बाके ग्राम इमलारी तहसील सीकरी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है। प्रार्थी की उक्त आराजी पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से अंगद सैनी के स्थान पर अंगना दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम अंगद सैनी है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम अंगद सैनी है। प्रार्थी के गॉव में अंगना पुत्र नन्नूराम जाति माली के नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज के कारण सरकारी एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए प्रार्थी अंगना के स्थान पर अपना नाम अंगद सैनी दर्ज करा पाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावे तथा उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी का नाम अंगना के स्थान पर अंगद सैनी शुद्ध फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार (तहसीलदार सीकरी) से प्रार्थना पत्र की बाबत रिपोर्ट ली गई। पेरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि विवादित आराजी की बाबत इ.नं. 823 से नन्नूराम की विरासत अनुसार अंगना पुत्र नन्नूराम के नाम दर्ज हुई। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अंगना एवं अंगद सैनी एक की व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का नाम अंगना पुत्र नन्नूराम के स्थान पर अंगद सैनी पुत्र नन्नूराम शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाह सोहनलाल पुत्र नन्नू उम्र 40 साल जाति माली निवासी इमलारी का शपथ पत्र, रामा पुत्री नन्नू

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सीकरी (डीग) रा.

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज0

पत्नि हरभजन उम्र 70 साल जाति माली निवासी इमलारी का शपथ पत्र, प्रेम पुत्री नन्नू पत्नि सूरज उम्र 50 साल जाति माली निवासी इमलारी का शपथ पत्र पेश किये। सभी सहकाश्तकारों ने निवेदन किया कि अंगद सैनी एवं अंगना एक ही व्यक्ति हैं। हमारे अंगना नाम का कोई भाई नहीं है। अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंगना के स्थान पर अंगद सैनी शुद्ध किया जावे।

आज प्रार्थी के अभिभाषक की बहस बाबत प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी का अंगद सैनी पुत्र नन्नूराम के बजाय अंगना पुत्र नन्नूराम दर्ज कर दिया जबकि अंगना पुत्र नन्नूराम नाम का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थी का नाम अंगना पुत्र नन्नूराम के स्थान पर अंगद सैनी पुत्र नन्नूराम शुद्ध किया जावे।

इस प्रकार संपूर्ण पत्रावली एवं तहसीलदार सीकरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, गवाहान (सहकाश्तकारान) का अवलोकन अध्ययन व मनन किया जाकर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी का नाम आराजी पर जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 823 दिनांक 14.06.2019 से दर्ज रिकार्ड हुआ है। उक्त विरासत के नामान्तरकरण के दौरान प्रार्थी का नाम अंगद के स्थान पर अंगना दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी को विधिसम्मत धाराओं में कार्यवाही करनी चाहिए।

न्यायिक दृष्टान्तः–

136. [Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

आराजी खसरा नंबर 23/0.30, 24/0.34, 5/0.77, 322/0.32, 326/0.17, 327/0.16 बाके ग्राम इमलारी तहसील सीकरी पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम आराजी पर जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 823 दिनांक 14.06.2019 से दर्ज रिकार्ड हुआ है। उक्त विरासत के नामान्तरकरण के दौरान प्रार्थी का नाम अंगद के स्थान पर अंगना दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी को उक्त विरासत के नामान्तरकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करनी चाहिए। प्रार्थी प्रकरण में सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट खारिज फरमाया जाता है निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी डीग राज.
सत्यमेव जयते